Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में चोरी की घटना कारित करने के आरोपी जाहिद व राशिद कोपुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष का कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त जाहिद पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत व राशिद पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम सिखेडा थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा प्रारम्भिक विद्यालय का ताला तोडकर सामान चोरी करने की घटना कारित की गयी थीं जिसके सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 37/2022 धारा 457/380/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 03.02.2026 को मा0 न्यायालय एसीजेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों जाहिद व राशिद को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 01 वर्ष के कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 03.02.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 75/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलहे का प्रयोग न करे तथा अवैध अथवा लाइसेंसी असलहों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन न करे। यदि इस प्रकार का कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है, तो संबंधित के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

करतार पुत्र खासेराम निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **01 अवैध तमंचा .315 बोर।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 धीरज कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-है0का0 726 शेर सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-है0का0 816 शौकेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
4-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनांक 03.02.2026

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 85/2026 धारा 74/352/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 85/2026 धारा 74/352/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सबंध में थाना बडौत पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग में दिनांक 02.02.2026 को एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलहे का प्रयोग न करे तथा अवैध अथवा लाइसेंसी असलहों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन न करे। यदि इस प्रकार का कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है, तो संबंधित के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रिंस पुत्र रामकुमार निवासी शिव विहार कालोनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत उम्र 25 बर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- **एक अवैध तमंचा .315 बोर।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।

2-है0का0 735 संदीप कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।

3-है0का0 678 योगेन्द्र थाना बड़ौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 03.02.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 76/26 धारा 331(4)/305(a)/317(2) बी.एन.एस का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक भैंस बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.02.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर आवेदक श्री राकेश कुमार पुत्र श्री महावीर सिंह निवासी ग्राम नैथला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त शंकर उर्फ अंशु पुत्र ब्रजेश निवासी ग्राम नैथला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के द्वारा वादी के घेर की दीवार तोड़कर उसकी भैंस चोरी कर ली है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 76/26 धारा 331(4)/305(a) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया।

नोट-- उक्त मुकदमे में दौराने विवेचना धारा 317(2) बीएनस की वृद्धि गयी है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 76/26 धारा 331(4)/305(a) बी.एन.एस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से चोरी की हुई वादी की भैंस बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शंकर उर्फ अंशु पुत्र ब्रजेश निवासी ग्राम नैथला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरणः-

- **चोरी की हुई वादी की भैंस।**

घटना का अनावरण व गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।

2- है0का0 632 विनोद कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।

3- का0 1085 आशीष यादव थाना बागपत जनपद बागपत।

4- एचजी 219 राजीव कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी **दिनाँक 03.02.2026**

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 11/2026 धारा 304(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस व छीने हुए एक जोडी कानों के कुण्डल (पीली धातु) तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल बरामद।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.01.2026 को थाना बालैनी पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि एक अज्ञात मो0सा0 सवार अभियुक्त द्वारा उसके खेत में काम करते समय कान के सोने के कुण्डल झपट्टा मारकर छीन लिये है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 11/2026 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 11/26 धारा 304(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतुस .315 बोर व छिने हुए एक जोडी कानों के कुण्डल (पीली धातु) तथा घटना में प्रयुक्त 01 मो0सा0 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामगदी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

समयदीन पुत्र आस मौहम्मद निवासी जानी खुर्द थाना जानी जिला मेरठ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस।
- छीने हुए एक जोडी कानों के कुण्डल (पीली धातू)
- घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल UP15CY5422 होण्डा सीबी शाइन 125

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 आरिफ अली थाना बालैनी बागपत।

2- का0 912 सूरज सिकरवार, थाना बालैनी बागपत।

3-का0 160 अंकुल सिंह सिद्धू थाना बालैनी बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 03.02.2026**

थाना बिनौली पुलिस थाने के मु0अ0सं0- 276/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/117(2)352/351(3)/115(2)/103(1)/190 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.09.2025 थाना बिनौली पर वादी श्री जयवीर सिंह पुत्र श्री जोगेराम निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. पप्पू पुत्र आसे, 2. आकाश पुत्र पप्पू, 3. गौरव पुत्र पप्पू, 4. राजीव पुत्र ओमकार, 5. अजय पुत्र ओमकार, 6. संजय पुत्र ओमकार, 7. सोनू, 8. अक्षय, 9. धर्मेन्द्र, 10. जितेन्द्र पुत्रगण रामचन्दर निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा लाठी -डण्डो व धारादार हथियार से लैस होकर एक राय होकर जान से मारने की

नीयत से वादी व वादी के परिजनों के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी व जान से मारने की धमकी दी व ट्रेक्टर से परिवाजनों को कुचल दिया, जिससे पैर व हाथों की हड्डी टूट गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 276/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/117(2)/352/351(3)/115(2) बीएऩएस पंजीकृत किया गया।

नोट- उपरोक्त अभियोग में साक्ष्य व विवेचना के आधार पर धारा 103(1)/190 की बढोत्तरी की गई है।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 276/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/117(2)/352/351(3)/115(2) में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-धर्मेन्द्र उर्फ काला पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 36 वर्ष।

2- अक्षय पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र- 20 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्र0नि0 श्री राकेश कुमार शर्मा थाना बिनौली बागपत।

2- उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बिनौली बागपत।

3- है0का0 481 गुरदीप कुमार थाना बिनौली बागपत।

4- है0का0 714 रविन्द्र कुमार थाना बिनौली बागपत।

5- है0का0 255 अफसर अली थाना बिनौली बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

साइबर क्राइम सेल दिनाँक 03.02.2026

थाना साइबर क्राइम एवं साइबर क्राइम सेल कि संयुक्त टीम द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिये कम कीमत पर मंहगे मोबाइल फोन बेचने के नाम पर अंतर्राज्यीय स्तर पर ऑन-लाइन ठगी करने वाले मु०अ०सं०- 06/2026 धारा 318(4) BNS व 66D IT Act से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिबिंब पोर्टल से प्राप्त मो0 न0-Mobile No: 7206513269 पर शिकायत संख्या न0 31901260010695 दर्ज होना पाया गया। इन मो0 न0 की तकनीकी जाँच से अतिरिक्त 06 संदिग्ध मो0 न0 प्राप्त हुये। उक्त 06 मो0 न0 पर महाराष्ट्र, छत्तिसगढ, राजस्थान आदि प्रदेशो से कुल 02 शिकायते प्रकाश में आई। उक्त शिकायतों की जांच में पाया गया कि इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर मंहगे मोबाइल फोन को कम किमत पर बेचने के नाम पर आम जनमानस से रजिसट्रेशन व फाईल चार्ज के नाम पर रुपये लेना फिर फर्जी बिल भेज देना व फोन कि डिलीवरी भी नहीं करना पाया गया। जांच में पाया गया कि अभियुक्त ने उपरोक्त अपराध किया गया है, जो गंभीर एवं दण्डनीय अपराध है। साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में साइबर सेल व साइबर क्राइम थाना बागपत द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुये उपरोक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुये थाना साइबर क्राइम पर मुकदमा अपराध संख्या- 06/2026 धारा 318(4) बी0एन0एस0 व 66(डी) आई0टी0 एक्ट पंजीकृत कराया गया है व उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के आदेशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के पर्यवेक्षण में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत साइबर क्राइम सेल बागपत व थाना साइबर क्राइम की संयुक्त टीम द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिये कम कीमत पर मंहगे मोबाइल फोन बेचने के नाम पर अंतर्राज्यीय स्तर पर ऑन-लाइन ठगी करने वाले मु०अ०सं०- 06/2026 धारा 318(4) BNS व 66D IT Act से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन बरामद हुए है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

असलम पुत्र सुभाष चंद्र उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम कालीरावन थाना अग्रवा जिला हिसार, हरियाणा

बरामदगी का विवरण:-

- घटना में प्रयुक्त 02 मोबाईल फोन

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. ACKNOWLEDGEMENT NO.- 31901260010695 पूणे, महाराष्ट्र
2.ACKNOWLEDGEMENT NO.- 33306240011422 चम्पा मुलमुला छतीसगढ़
3.ACKNOWLEDGEMENT NO.- 32701260008291 जयपुर, राजस्थान

घटना का अनावरण व गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक श्री संत सरण सिंह, साइबर थाना, बागपत ।
2-उ0नि0 श्री अमरदीप , साइबर सेल, बागपत ।
3-उ0नि0 श्री उपदेश शर्मा, साइबर सेल, बागपत ।
4-उ0नि0 श्री सौम्य कृष्णात्रेय, साइबर सेल, बागपत ।